वि-प्रागम | विहारा-वगैरा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
15.7.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील subject to limitation दर्ज की जावे। विद्वान वकील अपीलांट को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न जमाबन्दी में अपीलांट का हिस्सा अंकित है। वह खातेदार दर्ज है। अपीलांट खातेदार को बिना सुने स्थगन आदेश किया है। इसके बाद तहत अदालत द्वारा C.P.C के आदेश 39 नियम 3(क)क के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अर्थात अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 01 माह के अन्दर नहीं किया है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।
	अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 13.6.2019 का प्रचलन स्थगित किया जाता है तथा तहत अदालत को निर्देशित किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा.पत्र का निस्तारण 2 माह के अन्दर करें। निर्णय की प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। सुनवाई हेतु अपीलांट तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो।
	पत्रावली फैसल शुमार हो।
	(हस्ताक्षर)
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर